माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड–सह–अध्यक्ष, सामान्य निकाय, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में नेतरहाट विद्यालय समिति के सामान्य निकाय की दिनांक 16.11.2011 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

क्रमांक	नाम, पदनाम एवं पता	समिति में धारित पद	उपस्थिति
1.	श्री बैद्यनाथ राम, माननीय मंत्री मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	अध्यक्ष, सामान्य निकाय	उपस्थित
2.	श्री सुशील कुमार चौधरी, भा0प्र0से0 मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची	सभापति, कार्यकारिणी समिति	उपस्थित
3.	श्री देवाशीष गुप्ता, भा0प्र0से0, विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची	उपाध्यक्ष, सामान्य निकाय	अनुपस्थित
4.	श्री बी0के0 त्रिपाठी, भा0प्र0से0, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य, सामान्य निकाय	अनुपस्थित
5.	श्री ज्योति भ्रमर तुबिद, भा0प्र0से0, प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य,	उपस्थित
6.	श्री एच0एन0 राम, अपर सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य, (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत)	उपस्थित
7.	श्री नरेन्द्र भगत, भा0प्र0से0 सेवानिवृत अग्रवाल नर्सिंग होम के निकट, बरियातु, राँची ।	सदस्य,	उपस्थित
8.	श्री कृष्ण स्वरूप प्रसाद, सेवानिवृत शिक्षक, 184/सी02, हरिहर सिंह रोड, मोरहाबादी, राँची	सदस्य	उपस्थित
9.	श्री कालीचरण देवघरिया, सेवानिवृत शिक्षक, 144/इ0 हरिहर सिंह रोड, मोरहाबादी, राँची ।	सदस्य	उपस्थित
10.	श्री रामनरेश सिंह, प्रचार्य नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	सदस्य सचिव	उपस्थित
11.	श्री अजय कुमार सिंह, आयुक्त, पलामू	सदस्य	अनुपस्थित
12.	श्री राहुल पूरवार, उपायुक्त, लातेहार	सदस्य	अनुपस्थित

13.	श्री रतन कुमार, उपायुक्त, लोहरदगा	सदस्य	अनुपस्थित
14.	श्री महेश भगत, जिला योजना पदाधिकारी, लातेहार	उपायुक्त लातेहार के प्रतिनिधि	उपस्थित
15.	श्री प्राण कुमार झा, विशेष कार्य पदाधिकारी, योजना, मानव संसाधन विकास विभाग	आमंत्रित	उपस्थित

नेतरहाट विद्यालय समिति के सामान्य निकाय द्वारा निम्नांकित निर्णय लिए गय :–

1. दिनांक 02.11.10 को सामान्य निकाय की हुई बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टी की गई।
2. दिनांक 02.11.10 को सामान्य निकाय की सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुपालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।
3. नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित **नियुक्ति, सेवा शर्त्त तथा अनुशासन नियमावली (Recruitment, Service Conditions and Disciplinary Rules) 2011** को, प्राचार्य की नियुक्ति हेतु उम्र सीमा का संशोधन कर न्यूनतम 45 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष निर्धारित करते हुए, अनुमोदन किया गया।
4. आश्रमों एवं अन्य भवनों के शीघ्र जीर्णोद्धार हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा लिए गये निर्णयों के अनुपालन में तीव्रता लाने का निदेश दिया गया।
5. कार्यरत सह–शिक्षकों को ए0सी0पी0 योजना के तहत नियमानुसार वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी सम्पुष्ट करने हेतु संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को नामित करने का निर्णय लिया गया।
6. प्रचार्य और शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कार्यकारिणी समिति से अनुरोध किया गया कि समिति की नियमावली के अनुसार चयन समिति का अविलम्ब गठन कर अग्रेतर कार्रवाई की जाय।
7. नेतरहाट विद्यालय के लिए एक स्वराज माजदा तथा एक सीटी राईडर बस खरीदने का प्रस्ताव तैयार कर कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ उपस्थापित करने हेतु प्राचार्य को निदेश दिया गया ।
8. नेतरहाट आवासीय विद्यालय, इन्दिरा गांधी बलिका विद्यालय हजारीबाग तथा सैनिक विद्यालय तिलैया के लिए एक–एक विशेष काय पदाधिकारी के पद सृजन हेतु प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष उपस्थापित करने हेतु मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से अनुरोध किया गया ।
9. नेतरहाट विद्यालय में दैनिक मानदेय पर कार्यरत शिक्षिका, श्रीमती अनिता कुमारी को कार्य से मुक्त किये जाने संबंधी मामले की सांगोपांग जाँच, श्रीमती ममता, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से कराने का निर्णय लिया गया।

10. नेतरहाट विद्यालय परिसर से अतिशक्तिशाली, 11,000 वोल्ट क्षमता का, विद्युत तार पार किया गया है, जिससे खतरा पैदा हो सकता है। उक्त तार को विद्यालय परिसर से बाहर करने का अनुरोध झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से करने का निर्णय लिया गया। विशेष कार्य पदाधिकारी को विद्युत बोर्ड से सम्पर्क कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

तदोपरान्त बैठक में उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई ।

ह०/–
(बैद्यनाथ राम)
मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड,
–सह–अध्यक्ष, सामान्य निकाय,
नेतरहाट विद्यालय समिति ।